

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम

सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1999–2000 में प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भ में इसे केवल 4 जिलों में ही शामिल किया गया था और वर्ष 2005–06 तक चरणबद्ध तरीके से इसे राज्य के समस्त जिलों में लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यतः घरेलू, विद्यालय, आगनवाडी केन्द्रों व सामुदायिक भवनों में शौचालयों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट एवं गन्दे पानी के निकासी की गतिविधियां प्रमुख है। यह कार्यक्रम मांग आधारित प्रार्थना पर परिकल्पित है इसके अन्तर्गत बी.पी.एल. द्वारा शौचालय निर्माण हेतु कुल 2500 रुपये प्रति शौचालय (2200 राजकीय अनुदान एवं 300 लाभार्थी द्वारा), विद्यालय में शौचालय हेतु 35000 रुपये (दो यूनिट महिला/पुरुष), आंगनवाडी में 8000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। शेष गतिविधियों पर कोई अनुदान देय नहीं है।

यह कार्यक्रम अब तक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्तर से क्रियान्वित किया जा रहा था। मंत्रीमण्डल सचिवालय की अधिसूचना दिनांक 30.11.2010 के अनुसार (प्रति संलग्न) "ग्रामीण स्वच्छता" गतिविधि को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में जोड़ी गई है। अतः यह कार्यक्रम अब ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर से क्रियान्वित किया जाना है। नोडल विभाग बनाया गया है। राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम को दिशा देने एवं निगरानी हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्वच्छता एवं सेनीटेशन मिशन गठित है। जिला स्तर पर प्रमुख जिला परिषद की अध्यक्षता में जला एवं सेनीटेशन मिशन एवं जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला एवं स्वच्छता कमेटी गठित है। जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा इस कार्यक्रम की जिला योजना तैयार कर भारत सरकार को भिजवाई जाती है। जिसे भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रति वर्ष प्रगति के आधार पर धनराशि जारी की जाती है।

जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को लागू करने हेतु एक जिला समन्वयक अनुबंध के आधार पर जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा रखा जाता है। इसी तरह ब्लाक स्तर पर भी ब्लाक कार्डिनेटर अनुबंध पर रखा जाता है। इस कार्यक्रम के समस्त लेखा जोखा एवं धनराशि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा संधारित किए जाते हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम जिला परिषद द्वारा ही जिला स्तर पर संचालित किया जाता है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत जिलों को जारी किश्त की राशि में हिस्सा राशि राज्यांश से उपलब्ध करानी होती है।

भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के लिए नीचे दिये गये लिंक का प्रयोग करें।

<http://tsc.gov.in/crspnet/crspmain.aspx>